

(F.M) 15/4

नायाता आमनीय निष्पादा, म०५६ अकाली

प्रथा शास्त्र

१८०७ निष्पादा - R ५९२ ॥ २०६

१। हुजाह सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

२। गुरन्दर सिंह पुत्र श्री गुरुदेव

३। चरणगण ग्राम झोरा, जिला
विजय गिर, म०५६ -- प्रथा

प्रथा

४। नारायण सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

५। बलैं सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

६। अमन सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

७। अमौर १वें पुत्र श्री वैदिकर्णि
८। चरणगण ग्राम झोरा, जिला
विजय गिर, म०५६.

९। नालस्टर सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

१०। अलाराज १वें पुत्र श्री वैदिकर्णि
११। दीनें विजयगण ग्राम झोरा

१२। वैदिक वैदिक, जिला गुरुदेव, म०५६

१३। रामेश सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

१४। गुरेंसिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

१५। खोन्नूराहे पुत्र श्री वैदिकर्णि

१६। पारोते सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

१७। शुभन सिंह पुत्र श्री वैदिकर्णि

८३। भावार्थिं हुव श्री लुँर खिंह जाहुर
शति निता-निष्ठा ग्राम डोरिया,

परसीज य निता पिण्ड, १०/५

८४। कुल आरतादेव्व तोया को हु बर्चिंह
जाहुर, निता-निष्ठा ग्राम डोरिया,
परसीज य निता पिण्ड, १०/५ --

-- ग्राम-निष्ठा

८५। गोरिंह हुव दुर्ली खिंह जाहुर
निता-निष्ठा ग्राम डोरिया, परसीज य
निता पिण्ड, १०/५ -- ग्राम-निष्ठा

पर

निष्ठा

५८-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निग0 497—दो / 2005

जिला—भिण्ड

दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

१८.८.१६

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0कें० अवरथी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त चाम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 183 / 2002—03 / अपील में पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 के विरुद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959(जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाव रिथत प्रब्लाधीन भूमि का बटवारा हेतु, आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र अपर तहसीलदार वृत्त ऊंमरी, जिला—भिण्ड के समक्ष पेश किया गया। अपर तहसीलदार वृत्त ऊंमरी, जिला—भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 3 / 1999—00 / अ—27 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 24.08.2001 को बटवारा का आदेश पारित किया गया। अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्र0क्र0 4 / 2001-02 / अपील माल में दर्ज किया जाकर दिनांक 21.07.2003 से प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 21.07.2003 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चाम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय

115

(P.M)

में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्र०क्र० 183/1999-00/अपील गाल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 31.03.2005 को अस्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाशक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपीलीय न्यायालयों ने विशेषकर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन भी नहीं किया। वर्तमान प्रकरण में सर्व क्रमांक 112/1 विवादित ही नहीं है। सर्व क्रमांक 112/1 ग्राम ढोचरा में स्थित है, जो वर्तमान प्रकरण से संबंधित है। अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख के अवलोकन के बिना ही इस सर्व नम्बर को प्रतिप्रार्थी क्र० 1 को दिये जाने का आदेश दिया है जो किसी भी प्रकार से पालनीय न होने के कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख का अवलोकन नहीं किया तथा आवेदकगण की स्पष्ट आपत्ति के होते हुये भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने की भूल की है। उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि सर्व क्र० 112/1 वर्तमान प्रकरण से संबंधित है किन्तु इस सर्व क्रमांक के कब्जे के सम्बन्ध में अपर आयुक्त चम्बल ने विवादित आदेश के पद क्र० 5 में रथंगन आवेदन पत्र को आधार लेते हुये जो आदेश पारित किया है वह न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। साक्ष्य से प्रतिप्रार्थी क्र० 1 का कब्जा सिद्ध नहीं है और रथंगन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों से कब्जे की पुष्टि नहीं हो

सकती। आवेदकगण की ओर से जो अभिनिर्धारण अपर आयुक्त चम्बल के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, वे अभिनिर्धारण वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू हैं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टिंत 1990 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 187, 2000 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 432, 1981 ए0आय0आर0 पृष्ठ 77 एवं 2001 रेवेन्यू निर्णय 205 उल्लेखनीय है। किन्तु अधीनरथ न्यायालय द्वारा इन न्यायिक दृष्टिंतों का अवलोकन नहीं किया गया और प्रजाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनरथ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये गिगरानी रचीकार किया जावे।

4/ अनावेदक क्र0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण में वही तर्क लिये गये हैं जो प्रस्तुत दस्तावेजों में हैं। अतः तर्क दूबारा न दोहराते हुये अधीनरथ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनरथ न्यायालय के अभिलेख एवं विचारण न्यायालय के अगिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि ग्राम बिलाव स्थित प्रजाधीन भूमि का बटवारा हेतु आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र अपर तहसीलदार वृत्त ऊंमरी, जिला-भिण्ड के समक्ष पेश किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड का आदेश स्थिर रखा जावे।

6/ अधीनरथ न्यायालय के अभिलेख एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से मैंने पाया कि

JK


JM

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र अपर तहसीलदार वृत्त ऊमरी, जिला-भिण्ड के समक्ष पेश किया गया, जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश कर अवगत कराया कि पटवारी द्वारा अनावेदक व अन्य सहखातोदारों की सहमति के बिना फर्द तैयार की गई है। विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त ऊमरी ने अपने प्र०क्र० 3/1999-00/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2001 को यह मानकर कि अनावेदक के गवाह को यह मालूम नहीं है कि किस सर्वे नं० के कितने हिस्से पर नारायण सिंह का कब्जा है। विचारण न्यायालय ने अनावेदक के गवाह के इस कथन को संदेहास्पद मानकर आपत्ति निरस्त कर दी। जबकि अन्य सभी गवाहों द्वारा ऐसा ही कथन किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने संदेह से परे नहीं माना है। प्रकरण में किसी भी साक्ष्य द्वारा न तो यह सिद्ध किया है कि किस सर्वे नं० पर कौन पक्षकार कितना रक्खा जमीन जोत व बुआई कर रहा है। गवाहों के कथन से यह तथ्य जरूर सामने आया है कि जिसका जितना घर बटवारे में हिस्सा मिला है वह उतने हिस्से पर काबिज है। यहां विवाद को सुलझाने के लिये विचारण न्यायालय को चाहिये था कि मौके पर जाकर समस्त पक्षकारों को बुलाते और यह जांच करते कि जिस हिस्से की अनावेदक मांग कर रहा है क्या उस पर वह मुताबित घर बटवारा काबिज है, जिस सर्वे नं० कि जितनी भूमि की वह मांग कर रहा है अथवा नहीं। प्रभु यह नहीं है कि अनावेदक ने ही क्यों आपत्ति की। प्रभु यह नहीं है कि अनावेदक के अलावा यदि किसी अन्य सहखातोदार के हिस्से की जमीन घर बटवारे के

मुताबिक उसे मिलती या उसके हित प्रभावित होते तो वह आपत्ति नहीं करता क्या । न्याय दृष्टांत 1998, नि० 147 एवं न्याय दृष्टांत 1987, रा.नि. 272 भी इस प्रकरण में इसलिये लागू नहीं होते हैं कि अपीलीय न्यायालय में अनावेदक ने धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक, अनावेदक द्वारा बोई गई फसल को उलटने की फिराक में है जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि पर अनावेदक का पूर्व से कब्जा है क्योंकि जब तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया तब ऐसी रिथति उत्पन्न हुई, अन्यथा सभी सहखातेदार पूर्व में हुये घर्से बटवारे के मुताबिक ही अपने—अपनी हिरसे की भूमि जोत व बुआई कर रहे थे । तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश से विवाद उत्पन्न हुआ है । इससे पूर्व विवाद बटवारा नहीं था । न्यायिक दृष्टांत 1981 ए.आई.आर. 77 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “ सहअंशधारी का कब्जा, दूसरे सह अंशधारी के प्रतिकूल नहीं हो सकता । ” न्याय दृष्टांत 2001 राजस्व निर्णय 205 सेवाराम तथा एक अन्य विरुद्ध मंगल सिंह में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है अिक “ प्रत्येक भूमि स्वामी को आवंटित किये जाने के लिये सह भूमिस्वामियों द्वारा अपनी भूमियां विनिदिष्ट की गई है — मान्य की जाना चाहिये । एक भूमिस्वामी ने भूमि के एक भाग को अपने रखयं का होने का दावा किया—जांच की जाना चाहिये । प्रत्येक भूमि स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये । ” अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने अपने आदेश में विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की

है, जो कि मेरे मतानुसार उचित है। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी अपने आदेश दिनांक 31.03.2005 से अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी तरह के हरतक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है और अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के द्वारा पारित आदेश 21.07.2003 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो।


(एम०क० सिंह)
सदस्य